भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 459

(02 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी भुगतान में विलंब

459. श्री कल्याण बनर्जी:

श्री सचिदानन्दम आर.:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2021-22 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत लंबित मजदूरी भुगतान की राज्य-वार राशि कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने संसदीय समिति (मई 2025) की सिफ़ारिश के अनुसार मजदूरी को संशोधित कर कम से कम 400 रु. प्रतिदिन करने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) मजदूरी में विलंब से आजीविका सुरक्षा और संकट की स्थिति में पलायन पर पड़ने वाले प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(घ) समयबद्ध वेतन संवितरण सुनिश्चित करने के लिए समय-सीमा और तंत्र का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी भुगतान में हुई औसत देरी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। निधि जारी करना एक सतत प्रक्रिया है।

इस योजना के तहत, मजदूरी का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रोटोकॉल के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में जमा किया जाता है। राज्यों से प्राप्त निधि अंतरण आदेश के आधार पर , उचित प्रक्रिया के बाद , मंत्रालय दैनिक आधार सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली

(पीएफएमएस) के माध्यम से मजदूरी भुगतान के लिए स्वीकृति जारी करता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, पिछले वर्ष की कोई भी लंबित देयता, अगर कोई हो, तो भारत सरकार उसकी उचित माध्यम से प्रतिपूर्ति करती है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 तक की सभी लंबित वेतन देनदारियां (पश्चिम बंगाल राज्य को छोड़कर) पहले ही चुका दी गई हैं।

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 (26.11.2025 की स्थिति के अनुसार) में, राज्यों को 68,393.67 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है , जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 की लंबित मजदूरी देयता का 100% शामिल है। चूंकि मजदूरी के भुगतान की मंजूरी मंत्रालय द्वारा पीएफएमएस (सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से दैनिक आधार पर जारी की जाती है , राज्यों से निधि अंतरण आदेश प्राप्ति के पश्चात नियत प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद , निधि जारी करने की स्थिति दैनिक आधार पर अपडेट होती रहती है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 26.11.2025 की स्थिति के अनुसार मजदूरी घटक के लिए लंबित देनदारियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख): इस योजना के अंतर्गत मजदूरी दरों में संशोधन के संबंध में समिति की सिफारिशों के संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), 2005 की धारा 6 (1) के अनुसार , केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा अपने लाभार्थियों के लिए अकुशल कार्य के लिए मजदूरी दर निर्दिष्ट कर सकती है। इसके अनुसार , ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना मजदूरी दर अधिसूचित करता है। महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों को महंगाई से बचाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि मजदूर के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) के आधार पर हर वित्तीय वर्ष में मजदूरी दरों में संशोधन करता है। मज़दूरी दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से लागू होती है।

मज़दूरी गणना दर की मौजूदा पद्धति का इस्तेमाल करके , केंद्र सरकार ने मज़दूरी दर को अधिसूचित किया है और पिछले वर्ष इसमें लगभग 5% (औसत) और पिछले 5 वर्षों में लगभग 29% (औसत) की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि , राज्य सरकारें अपने स्रोत से , केंद्र सरकार द्वारा बताई गई मज़दूरी दर के अतिरिक्त भी मज़दूरी प्रदान कर सकती हैं।

(ग): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। यह आजीविका सुरक्षा मुहैया कराती है अर्थात जब ग्रामीण परिवारों के पास आजीविका का कोई बेहतर अवसर उपलब्ध नहीं रहता है तब यह उन्हें आजीविका के लिए सहारा देने वाले विकल्प का काम करती है। अधिनियम नियमों के अनुसार, लाभार्थी कार्य पूरा होने के 15 दिनों के अंदर मज़दूरी पाने के हकदार होते हैं। यदि किसी को इस समयसीमा के अंदर मज़दूरी नहीं दी जाती है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के शेड्यूल-II में यह नियम है कि मज़दूरी चाहने वालों को देरी के लिए हर दिन की भुगतान न दी गई मज़दूरी का 0.05% मुआवज़ा मिलेगा, जो मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन से शुरू होगा।

स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार और अनुमानित मजदूरी आय सुनिश्चित करके, यह योजना मजबूरी में होने वाले प्रवास को कम करने में मदद करती है , क्योंकि ग्रामीण श्रमिकों को अपने ही ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी वाला रोजगार और आजीविका सहायता प्राप्त हो पाती है।

(घ): पश्चिम बंगाल राज्य में महात्मा गांधी नरेगा योजना को फिर से लागू करने के लिए , और माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के 18.06.2025 के आदेश के अनुसार, विभाग अभी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक पद्धतियों और प्रक्रियाओं पर फिर से कार्य कर रहा है और उन्हें परिस्कृत (रिफाइनिंग) बना रहा है।

(ड.): महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्षों में मस्टर रोल बंद होने के टी+8 दिनों के अंदर सृजित निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -वार प्रतिशत अनुबंध-II में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 02.12.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 459 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत 26.11.2025 की स्थिति के अनुसार मजदूरी घटक के लिए लंबित देनदारियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (रुपये करोड़ में)		
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**मजदूरी घटक के लिए लंबित देनदारियां**
1	आंध्र प्रदेश	381.02
2	अरुणाचल प्रदेश	4.70
3	असम	0.23
4	बिहार	7.04
5	छत्तीसगढ़	3.78
6	गोवा	0.00
7	गुजरात	46.98
8	हरियाणा	0.38
9	हिमाचल प्रदेश	15.18
10	जम्मू और कश्मीर	5.48
11	झारखंड	5.83
12	कर्नाटक	8.94
13	केरल	248.42
14	मध्य प्रदेश	64.14
15	महाराष्ट्र	14.32
16	मणिपुर	4.59
17	मेघालय	4.13
18	मिजोरम	91.43
19	नागालैंड	0.79
20	ओडिशा	11.76

21	पंजाब	0.12
22	राजस्थान	627.33
23	सिक्किम	0.10
24	तमिलनाडु	111.54
25	तेलंगाना	0.98
26	त्रिपुरा	2.93
27	उत्तर प्रदेश	5.98
28	उत्तराखंड	0.41
29	पश्चिम बंगाल*	1457.22
30	अंडमान और निकोबार	0.00
31	लक्षद्वीप	0.00
32	पुदुचेरी	16.99
33	लद्दाख	0.46
34	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	1.29
	कुल	**1687.27**

*पश्चिम बंगाल राज्य के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के श्रम बजट में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को अधिकार प्राप्त समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना), ग्रामीण विकास विभाग ने अनुमोदित नहीं किया क्योंकि इस विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया गया था। इसके बाद, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत पश्चिम बंगाल राज्य को 09.03.2022 से निधियां जारी करना भी रोक दिया गया। ऐसा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम , 2005 के धारा 27 के नियमों के तहत किया गया , क्योंकि राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का लगातार पालन नहीं कर रहा था। इसलिए , नरेगासॉफ्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ी मजदूरी घटक के लिए लंबित देनदारियां (08.03.2022 की स्थिति के अनुसार) ₹1457.22 करोड़ है। इन देनदारियों की स्वीकार्यता केंद्र सरकार द्वारा सत्यापन के अधीन है।

लोक सभा में दिनांक 02.12.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 459 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान मस्टर रोल बंद होने के टी+8 दिनों के अंदर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार सृजित निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) का प्रतिशत

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2022-23	2023-24	2024-25
1	अंडमान और निकोबार	7.82	38.3	4.01
2	आंध्र प्रदेश	93.25	99.92	99.99
3	अरुणाचल प्रदेश	58.86	63.06	72.5
4	असम	93.04	94.25	97.45
5	बिहार	89.61	93.79	92.79
6	छत्तीसगढ़	66.28	99.4	97.62
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	0	57.04	55.86
8	गोवा	53	32.68	37.62
9	गुजरात	89.84	98.03	99.22
10	हरियाणा	74.63	63.58	81.85
11	हिमाचल प्रदेश	83.25	94.64	97.38
12	जम्मू और कश्मीर	70.05	77.56	82.29
13	झारखंड	99.82	99.97	99.91
14	कर्नाटक	95.13	96.42	96.77
15	केरल	86.17	97.79	97.45
16	लद्दाख	52.28	48.67	63.5
17	लक्षद्वीप	56.62	49.41	0
18	मध्य प्रदेश	96.26	99.05	99.11
19	महाराष्ट्र	77.08	77.03	66.56
20	मणिपुर	9.26	9.03	14.34

21	मेघालय	58.15	61.35	71.18
22	मिजोरम	85.66	87.06	96.34
23	नागालैंड	18.09	41.22	52.9
24	ओडिशा	99.34	97.31	98.73
25	पुदुचेरी	62.44	38.25	45.69
26	पंजाब	69.77	83.34	82.85
27	राजस्थान	79.12	96.44	98.85
28	सिक्किम	83.03	87.53	91.62
29	तमिलनाडु	97.88	99.94	99.98
30	तेलंगाना	46.97	96	99.23
31	त्रिपुरा	94.09	98.41	97.43
32	उत्तर प्रदेश	79.72	91.35	95.76
33	उत्तराखंड	99.17	99.85	99.96
34	पश्चिम बंगाल	**	**	**
	कुल	**85.91**	**95.14**	**94.65**

(नरेगासॉफ्ट के अनुसार)

**राज्य द्वारा केंद्र सरकार के निर्देशों का लगातार पालन न करने के कारण , महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम , 2005 की धारा 27 के प्रावधानों को लागू करके 09.03.2022 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) के तहत पश्चिम बंगाल राज्य को निधियां जारी करना रोक दिया गया था।